

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 मई, 2010

संख्या सा० का० नि० 12/संवि०/अनु० 309/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) संशोधन नियम, 2010, कहे जा सकते हैं।

(2) ये जनवरी, 2006 के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में, नियम 2 में, उपनियम (2) में, खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(च) भूतपूर्व मैनिफेस्ट पेशानरों को छोड़कर व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में पुनः नियोजित किए गए हैं;”।

अजीत एम० शरण,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**FINANCIAL DEPARTMENT****Notification**

The 5th May, 2010

No. G. S. R. 12/Const./Art. 309/2010.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, further to amend the Haryana Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, namely :—

1. These Rules may be called the Haryana Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.

2. In the Haryana Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, in rule 2, in sub-rule (2), in clause (f), the following clause be substituted, namely :—

“(f) Persons re-employed in Government service after retirement except ex-military pensioners;”.

AJIT M. SHARAN,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.